सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ऑन लाईन नं.RCMS2020/00028

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : डा. गुंजन सोनी, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं0 09/2020

श्री हरीराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. प्रेमकुमार पुत्र श्री मदनलाल पोपली —नमूना विक्रेता एवं मालिक—
   फर्म—मै0 न्यू गंगा पनीर हाउस ,दुकान नम्बर —5—6, अरोडवंश मन्दिर, रविन्द्रपथ, श्रीगंगानगर
   निवासी :— 28, विनायक विहार, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर।

अपराध अ0 धारा 26 उपधारा (2)(2)/51
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011

निर्णय दिनांक : 20.07.2020

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री हरिराम वर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 17.05.2017 को कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर द्वारा दिनांक 17.05.2017 से वर्तमान कार्यक्षेत्र के अतिरिक्त जिला श्रीगंगानगर कार्यक्षेत्र अग्रिम आदेशों तक आवंटित किया है।

श्री हरिराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 11.08.2019 को दोपहर 01.00 बजे श्री राकेश ससचदेवा, लेब तकनीशियन , कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर के वास्ते निरीक्षण फर्म मै0 न्यू गंगा पनीर हाउस, दुकान नम्बर—5—6, अरोड़वंश मन्दिर, रविन्द्रपथ, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर पहुंचे। वहां पर प्रेमकुमार पुत्र श्री मदनलाल पोपली उम्र—57 वर्ष उपस्थित मिला। जिसने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक बताया। उपस्थित को निरीक्षण दल ने अपना परिचय देकर पनीर हाउस का निरीक्षण किया तो उपरोक्त पनीर हाउस में 45 किलोग्राम **पनीर (Paneer)** आमजन को विक्रय हेतु रखा पाया गया। मिलावट/नकली का शक होने पर नमूना जॉच K-974 के नमूनीकरण की सूचनार्थ विक्रेता को फार्म नम्बर 5ए की एक प्रति प्रदान कर विक्रेता को बताया कि **पनीर (Paneer)** का यह नमूना वास्ते जांच लिया जा रहा है। फार्म नम्बर 5ए पर नमूना विक्रेता श्री जवाहरलाल एवं गवाहान ने पढ़कर समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किए एवं तस्दीक कर स्वयं मैने हस्ताक्षर किए। मौके पर रखे **पनीर (Paneer)** का खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 के तहत नियमानुसार एवं

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

विधिपूर्वक नमूनीकरण करने के लिए कोल्ड स्टोर में रखे लगभग 45 किलोग्राम पनीर (Paneer) मे से1.0 किलोग्राम **पनीर (Paneer)** नमूना संख्या **K-974** के नमूनीकरण के लिए खरीदा जिसकी कीमत 280/–रूपये (अखरे दो सौ अस्सी रूपये) का नगद भुगतान देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा गवाहान श्री राकेश सचदेवा एवं तरूण कुमार सिंधी के हस्ताक्षर है एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री हरिराम वर्मा ने भी हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद शुदा **पनीर (Paneer)** को चार साफ एवं सुखी प्लास्टिक की बोतलों में बराबर मात्रा में भरकर एवं परिरक्षक फार्मेलिन की उचित मात्रा में मिलाकर ढक्कन बन्द किया एवं टेप चिपकाकर चार नमूना भाग बनायें। चारो प्लास्टिक बोतलो पर अलग–अलग खाद्य नमूना कोड का अनुक्रमांक **K-974** एवं अन्य विवरण युक्त लेबल चिपकाया और इन पर नमूना के विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवा कर मैने भी हस्ताक्षर किए। लेबल शुदा प्रत्येक नमूना भाग को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर कागज के सिरों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, अधिकारी श्रीगंगानगर की हस्ताक्षयुक्त पेपर स्लिप के–974 को नियमानुसार नीचे से ऊपर गोंद से चिपकाया, प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार 4–4 जगह मोडकर सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्त्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाएं एवं स्वयं ने हस्ताक्षर किये। नमूना के चौथे सीलबंद भाग के बारे में नमूना विक्रेता को यह बताकर कि वह चाहे तो इस भाग की जांच किसी अधिसूचित NABL प्रयोगशाला से जांच करवा सकता है। इसके पश्चात चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य विक्रेता ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

फूड एनालिस्ट राजस्थान जयपुर द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/1816/एक्ट/2019/1373 दिनांक 20.08.2019 **स्तर** (SUBSTANDARD) होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त प्रेमकुमार पुत्र श्री मदनलाल पोपली निवासी 28, विनायक विहार, श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **पनीर (Paneer)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(2)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 03.03.2020 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्तों को तलब किया गया। अभियुक्तों को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

ऑन लाईन नं.RCMS2020/00028

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 11.08.2019को जो नमूना पनीर का लिया गया था , उक्त नमूनों को जयपुर प्रेषित किया गया,जो कि दिनांक 20.08.2019 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उक्त रिपोर्ट का अवलोकन करने से यह प्रमाणित है कि जयपुर की प्रयोगशाला द्वारा उक्त पनीर के 8 विभिन्न अलग–अलग मदों में जांच की गई थी जिसमें मद संख्या–2 के अलावा अन्य समस्त मदों में मानक पूरा होना दर्शाया है। मद संख्या–2 में मिल्क फैट कम होना दर्शाया है। यहां यह अंकित करना आवश्यक है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सम्पैल लिये जाते वक्त उक्त पनीर को सही हिस्सों में व सही मात्रा में सैम्पल नहीं लिया गया, जबकि सैम्पल लेने के तरीके में रेंडम तरीके से सैम्पल लेकर जांच करवायी जाती है जिससे पनीर की सही गुणवता के सम्बन्ध में रिपोर्ट आ सकें। यहां यह अंकित करना आवश्यक है कि खाद्य सामग्रीकी टैस्टिंग के लिए विशेष रूप से बने सैम्पल के डिब्बों में लिया जाकर उसे एक निश्चत तापमान कंटेनर में रखना होता है उसके उपरांत भी सैम्पल जांच की जानी चाहिए, हस्तगत मामलें में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सही रूप से सैम्पल नहीं लिया गया इसलिए उक्त रिपोर्ट पोषणीय नहीं है। उक्त परिवाद इसलिए भी पोषणीय नहीं है क्योंकि सरकार द्वारा जारी किये गये नियमों में डिब्बा बंद पनीर में भी विभिन्न श्रेणीयां बनी हुई है जिन श्रेणीया के चलते उनके मानकों का निर्धारण होता है, जिन डिब्बा बंद पनीर का उत्पादन भैंस के दुध से किया जाता है उसके दुध का फैट 50 प्रतिशत से अधिक होना अनिवार्य है क्योंकि जहां भैंस के दूध में फैट की मात्रा 60 प्रतिशत होती है इस हेतु खाद्य सुरक्षा के नियमानुसार उसका फैट 50 प्रतिशत से अधिक होना अनिवार्य है क्योंकि 10 प्रतिशत का फैट कम–ज्यादा हो सकता है इसी प्रकार से जो डिब्बा बंद पनीर गांय के दुध से बनता है उसकी फैट की मात्रा 25 प्रतिशत से अधिक होनी अनिवार्य है क्योंकि गांय के दुध में फैट ही कुल 30 प्रतिशत होता है। हस्तगत मामलें में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जो सैम्पल लिया गया वह खुले पनीर का लिया गया जबकि मौका पर दुकान में पनीर विक्रय करते समय यह अंकित किया गया था कि उक्त पनीर गाय का है परन्तु उसका पृष्ठांकन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में नहीं किया गया ऐसी अवस्था में जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद से किसी प्रकार का कोई अपराध अप्रार्थी के विरूद्व नहीं बनता है। अतः जबाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उक्त परिवाद व दस्तावेजों का अवलोकन करने से किसी प्रकार का कोई अपराध प्रमाणित नही होते है इसलिए उक्त पत्रावली दाखिल दफतर फरमायी जावें।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **पनीर (Paneer)** का सैम्पल के–974 जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/ 1816/एक्ट/2019/1373 दिनांक 20.08.2019 द्वारा (SUBSTANDARD) होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की उप धारा 26(2)(2)/51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध साबित होता है। जिसमें अधिकतम 5,00,000 रूपये की शास्ति का प्रावधान है।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

ऑन लाईन नं.RCMS2020/00028

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 11.08.2019 को जो नमूना पनीर का लिया गया था , उक्त नमूनों को जयपुर प्रेषित किया गया,जो कि दिनांक 20.08.2019 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उक्त रिपोर्ट का अवलोकन करने से यह प्रमाणित है कि जयपुर की प्रयोगशाला द्वारा उक्त पनीर के 8 विभिन्न अलग–अलग मदों में जांच की गई थी जिसमें मद संख्या–2 के अलावा अन्य समस्त मदों में मानक पूरा होना दर्शाया है। मद संख्या–2 में मिल्क फैट कम होना दर्शाया है। यहां यह अंकित करना आवश्यक है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सम्पैल लेते समय पनीर का सही हिस्सों व मात्रा में सैम्पल नहीं लिया, जबकि सैम्पल लेने के तरीके में रेंडम तरीके से सैम्पल लेकर जांच करवायी जाती है जिससे पनीर की सही गुणवता के सम्बन्ध में रिपोर्ट आ सकें। खाद्य सामग्री की टैस्टिंग के लिए विशेष रूप से बने सैम्पल के डिब्बों में लिया जाकर उसे एक निश्चत तापमान कंटेनर में रखना होता है उसके उपरान्त सैम्पल जांच की जानी चाहिए, हस्तगत मामलें में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सही रूप से सैम्पल नहीं लिया। इसलिए रिपोर्ट पोषणीय नहीं है। उक्त परिवाद इसलिए भी पोषणीय नहीं है क्योंकि सरकार द्वारा जारी किये गये नियमों में डिब्बा बंद पनीर में भी विभिन्न श्रेणीयां बनी हुई है जिन श्रेणीया के चलते उनके मानकों का निर्धारण होता है, जिन डिब्बा बंद पनीर का उत्पादन भैंस के दुध से किया जाता है उसके दुध का फैट 50 प्रतिशत से अधिक होना अनिवार्य है क्योंकि जहां भैंस के दूध में फैट की मात्रा 60 प्रतिशत होती है इस हेतु खाद्य सुरक्षा के नियमानुसार उसका फैट 50 प्रतिशत से अधिक होना अनिवार्य है क्योंकि 10 प्रतिशत का फैट कम–ज्यादा हो सकता है इसी प्रकार से जो डिब्बा बंद पनीर गांय के दुध से बनता है उसकी फैट की मात्रा 25 प्रतिशत से अधिक होनी अनिवार्य है क्योंकि गांय के दुध में फैट ही कुल 30 प्रतिशत होता है। हस्तगत मामलें में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जो सैम्पल लिया गया वह खुले पनीर का लिया गया जबकि मौका पर दुकान में पनीर विक्रय करते समय यह अंकित किया गया था कि उक्त पनीर गाय का है परन्तु उसका पृष्ठांकन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में नहीं किया गया ऐसी अवस्था में जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद से किसी प्रकार का कोई अपराध अप्रार्थी के विरूद्व नहीं बनता है। अतः पत्रवली दाखिल दफतर फरमायी जावें।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

हमने पत्रावली एवं Food Analyst की दिनांक 20.08.2019 की रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया। अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लधन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 51 में वर्णित है। उपलब्ध कागजात के अवलोकन के पश्चात **पनीर (Paneer)** विक्रेता एफएसएसए 2006 की धारा 31(1) की श्रेणी में आते है। अभियुक्त प्रेमकुमार पुत्र श्री मदनलाल नमूना विक्रेता एवं मालिकं, फर्म–पर Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Aditives) Regulations 2011. के तहत **पनीर (Paneer)** का विक्रय करने

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगा-नगर

पर धारा 26(2)(2)/51 के तहत 10000/–रूपये (अखरे रूपये दस हजार मात्र) शास्ति अधिरोपित की जाती है। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त **पनीर (Paneer)** का विधिक प्रावधानानुसार व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत जब्तशुदा **पनीर (Paneer)** की सुपुर्दगी देते हुए विधिक नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण पालना से तीन दिवस में अवगत करावें।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में **पनीर (Paneer)** के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.07.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा. गुजन सोनी)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्रीगंगानगर